



भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India



सं No. A-26/(10)/2021-A P

दिनांक: 26 अगस्त 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन-के बारे में।

दिनांक 7 नवंबर, 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन के क्रम में भादूविप्रा में महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्य के रूप में सक्षम प्राधिकारी ने श्री राकेश पुरोहित के स्थान पर श्री आर. रामानुजम, संयुक्त सलाहकार (एफएंडईए) को नामित किया है। अब आईसीसी में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे: -

- | | | |
|-------|--|-------------|
| (i) | सुश्री शिवानी शर्मा, संयुक्त सलाहकार | -अध्यक्ष |
| (ii) | सुश्री सोनिया मदान, संयुक्त सलाहकार | -सदस्य |
| (iii) | श्री आर. रामानुजम, संयुक्त सलाहकार | -सदस्य |
| (iv) | सुश्री रीवी जे जैकब, वरि.अनु. अधिकारी | -सदस्य सचिव |
| (v) | सुश्री पेयाला मर्सी परिमाला (वाईडब्ल्यूसीए द्वारा प्रायोजित) | -सदस्य |

2. शिकायत समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:

- भादूविप्रा कार्यस्थल पर कर्मचारियों की शिकायतों/आरोपों की जांच, यदि कोई हों, करना ।
- शिकायतों के निवारण और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।
- प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

3. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अरविंद कुमार)

तकनीकी अधिकारी (ए एंड पी)

सेवा में,

- | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | सुश्री शिवानी शर्मा, संयुक्त सलाहकार | -समिति की अध्यक्ष |
| 2. | सुश्री सोनिया मदान, संयुक्त सलाहकार | - समिति की सदस्य |

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 3. | श्री आर. रामानुजम, संयुक्त सलाहकार | - समिति के सदस्य |
| 4. | सुश्री रीवी जे जैकब, वरि.अनु. अधिकारी | - समिति की सदस्य सचिव |
| 5. | सुश्री पेयाला मर्सी परिमाला (वाईडब्ल्यूसीए द्वारा प्रायोजित) | - समिति की सदस्य |
- # 33-ए, विजय मंडल एन्क्लेव, गेट नंबर 3, डीडीए, एसएफएस फ्लैट्स, नई दिल्ली-110016,
मोबाइल-9667147090, ईमेल:mercyrao4@gmail. com

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं परिचालन हेतु :-

1. अध्यक्ष, भादूविप्रा के ओएसडी
2. सदस्य, भादूविप्रा के वरि. प्रधान निजी सचिव
3. सचिव, भादूविप्रा के वरि. प्रधान निजी सचिव
4. सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर) के निजी सचिव
5. ई आफिस नोटिस बोर्ड.

करविन्द